

[2025] 1 एस. सी. आर. 2008 : 2025 आईएनएससी 96

राकेश कुमार रघुवंशी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(क्रिमिनल अपील क्रमांक 1953 वर्ष 2014)

16 जनवरी 2025

[जे.बी. पारदीवाला एवं आर. महादेवन, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने में गलती की, जिससे अपीलार्थी को जानबूझकर अफीम की भूसी रखने का दोषी ठहराया गया।

हेडनोट्स

स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

धारा.54 – स्कोप – गैर-कानूनी चीजों के कब्जे का अनुमानः

अभिनिर्धारित किया : धारा.54 के अनुसार, जब तक विचारण में इसके उलट साबित नहीं हो जाता, यह माना जा सकता है कि आरोपी ने अधिनियम के तहत कोई ऐसा अपराध किया है जिसके पास होना मना है और जिसके कब्जे का वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया – यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पर है कि प्रतिबंधित सामान आरोपी के होश में कब्जे से ज़ब्त किया गया था, और जब यह साबित हो जाता है, तो आरोपी पर कब्जे का विधिक और संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी आ जाएगी – अपीलार्थी के पास होश में अफीम की भूसी पाई गई थी, और उसका यह बचाव कि उसे तीन कार्टन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह अधिकारियों के कहने पर ही तीन कार्टन के साथ कोच से उतरा था, सही नहीं है। स्वादिष्ट – अपीलार्थी यह बताने में नाकाम रहा कि वह एक कार्टन पर कैसे बैठा था और बाकी दो कार्टन उसके पास कैसे रखे थे, और इस तरह, धारा 54 लागू

[2025] 1 एस. सी. आर.

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

हुआ - न्यायालय यह अनुमान लगाने में सही होगा कि आरोपी होश में था - उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करने और इस तरह विचारण न्यायालय के फैसले और सजा के आदेश को पक्का करने में कोई गलती नहीं की। [पैरा 15-19, 24]।

स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 35 - गलत मानसिक हालत का अनुमान: [2025] 1 एस सी आर 2009

अभिनिर्धारित किया : एन डी पी एस अधिनियम के तहत कब्जा सिर्फ भौतिक ही नहीं बल्कि होश में भी होना चाहिए - होश में कब्जा का मतलब है कि व्यक्ति को पता था कि उसके नियंत्रण में अवैध ड्रग या मनःप्रभावी पदार्थ है और उसे इसकी अवैध प्रकृति का इरादा या जानकारी थी - होश में कब्जा एक ऐसे परिदृश्य को बताता है जहाँ कोई व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से कोई स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ रखता है, बल्कि उसे इसकी मौजूदगी और प्रकृति का भी पता होता है, जिसके लिए शारीरिक नियंत्रण एवं मानसिक जागरूकता दोनों की आवश्यकता होती है - धारा 35 कहता है कि एन डी पी एस अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन में, न्यायालय यह मान लेगा कि आरोपी की मानसिक हालत जरूरी थी, जिसमें इरादा, जानकारी और हेतुक शामिल है, जब तक कि आरोपी कुछ और साबित न कर दे - इस तरह, यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की है कि ड्रग्स रखने के बारे में उसे जानकारी या इरादा नहीं था। [पैरा 20 और 21]

उद्धृत केस

अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य [2000] 1 एस सी आर 542 : (2000) 2 एस सी सी 513; मदन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [2003] सप. 2 एस सी आर 716 : (2003) 7 एस सी सी 465; अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य [2002] सप. 2 एस सी आर 482 : (2002) 7 एस सी सी 419 - का जिक्र किया गया।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

अधिनियमों की सूची

स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; सी. आर. पी. सी. , 1973।

कुंजी शब्दों की सूची

जानबूझकर नशीली चीजें रखना, जानकारी होना; अवैध चीज़ रखने का डर; मानसिक स्थिति ठीक न होने का अंदाज़ा; जानबूझकर अफीम की भूसी रखना।

मामला किससे उत्पन्न हुआ

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से मामला: आपराधिक अपील क्रमांक 1953 वर्ष 2014 सी आर एल ए क्रमांक 1213 वर्ष 1997 में इंदौर में म.प्र. उच्च न्यायालय इंदौर के 07.05.2013 के फैसले और आदेश से

पक्षों की और से उपस्थिति

सुश्री प्रगति नीखरा, आदित्य भानु नीखरा, अतुल डोंग, अनिकेत पटेल, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

भूपेंद्र प्रताप सिंह, डी ए जी, आदित्य वैभव सिंह शासकीय अधिवक्ता, सरदार कुमार सिंघानिया और, सनी चौधरी, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ।

निर्णय/उच्चतम न्यायालय का आदेश

आदेश

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ, इंदौर द्वारा ७ मई, २०१३ को सी आर एल.ए. क्र.१२१३ /१९९७ में पारित निर्णय और आदेश से

[2025] 1 एस. सी. आर.

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ (संक्षेप में "एनडीपीएस अधिनियम") की धारा ८ के साथ धारा १५ के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की।

२. अभियोजन पक्ष का मामला निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

(१) मुशर्रफ बेग नाम के एक एसआई अधिकारी ने एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, जी.आर.पी. उज्जैन के पास दिनांक ३०/१२/१९९६ को एफआईआर क्रमांक ७१३/९६ दर्ज कराई, जो इस प्रकार है:

"अपराध पंजीयन के संबंध में प्रस्तुत है कि मुझे, एसआई एम. बेग को दिनांक २९/१२/१९९६ को २२:१५ बजे ड्यूटी पर उपस्थित रहते समय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सांवला व्यक्ति भोपाल राजकोट १२७० अप ट्रेन में यात्रा कर रहा है, जनरल कोच के डिब्बे के बाथरूम की गैलरी में सबसे आखिर में तीन अलग-अलग कार्टून के पैकेट लिए खड़ा है। वह उनमें से एक पर बैठा हुआ है। यह सूचना जनरल डायरी क्रमांक २३८१ में दिनांक २९/१२/९६ को दर्ज की गई तथा सूचना की पुष्टि हेतु आरक्षक ब्रजमोहन को गवाह राकेश व प्रकाश को बुलाने हेतु भेजा गया तथा उन्हें मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराया गया। सूचना की सूचना का पंचनामा तैयार किया गया। रेलवे रीजन इंदौर के वरिष्ठ प्राधिकारियों का मुख्यालय इंदौर में है। सूचना अनुसार वस्तु में हेराफेरी की संभावना होने पर तथा उक्त सूचना की पुष्टि हेतु आवश्यक होने तथा परिस्थितियों को देखते हुए सर्च वारंट प्राप्त नहीं हो सका जिसका पंचनामा तैयार किया गया है। मुखबिर की सूचना के पंचनामा की दो प्रतियां, सर्च वारंट प्राप्त न होने की स्थिति में पुलिस थाने के आरक्षक डिस्पैच राइडर क्रमांक

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

६७३५ के माध्यम से धारा ४२ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत पंचनामा की प्रति पुलिस अधीक्षक रेलवे इंदौर को दिनांक २९/१२/१९९६ को भेजी गई। जनरल डायरी क्रमांक में उल्लेखित सूचना अनुसार प्रधान आरक्षक भरत पांडे, प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंह, आरक्षक बृजमोहन सिंह के साथ बुलाए गए गवाहों, आवश्यक सामग्री तराजू, बांट, मुहर, चपड़ा आदि को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक, पार्सल ऑफिस के पास, वेर ब्रिज के पास घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन के आने पर मय बल को कोच के पास तैनात किया तथा ट्रेन के गार्ड आरक्षक ४०५ उमाशंकर व ६१० राजेंद्र सिंह ने संदिग्ध व्यक्ति को कोच क्रमांक ९११०५ में गवाहों के साथ तलाशी ली तथा संदिग्ध व्यक्ति के हुलिए की पुष्टि गवाहों के समक्ष करने पर तथा उसके अचानक कोच से बाहर निकलने के प्रयास करने पर मय बल के सहयोग से उसे रोका गया। उसे उसके पास मौजूद तीन कार्टूनों सहित कोच से बाहर बुलाया गया। चूंकि सूचना की पुष्टि होने में समय लगेगा तथा ट्रेन कम समय के लिए रुकेगी। जैसे ही वह सामान सहित ट्रेन से बाहर आया तो उससे नाम व पता पूछा गया। उसने अपना नाम राकेश पुत्र शंकर लाल निवासी सांवल खेड़ा, तहसील व जिला होशंगाबाद बताया। इसके बाद यह भी बताया कि वह वर्तमान में छोला नाका हाउस नं. ४४ में कल्लू के घर भोपाल में रह रहा है और ३०० रुपये प्रतिमाह किराया दे रहा है। तो उसे सूचना मिली कि उसके पास तीन कार्टून में अफीम की भूसी है, जिसे वह बेचने के लिए तस्करी कर रहा है। मुझे आपके पास मौजूद तीनों कार्टून की तलाशी लेनी है। आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने दें या मेरे सामने भी दी जा सकती है। आप अपनी तलाशी किसी को भी दे सकते हैं। इस पर, उपस्थित राकेश ने मुझे तलाशी देने के लिए अपनी सहमति दी, जिसका सहमति का पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। राकेश ने मेरे और गवाहों के साथ बल की तलाशी ली। कोई संदिग्ध

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

वस्तु नहीं मिली। इसके बाद, राकेश के शरीर की तलाशी ली गई। तीन कार्टूनों की तलाशी ली गई तो अफीम पोस्त का छिलका मिला, जिसे गवाहों को सूंघने और चखने पर पता चला कि यह अफीम पोस्त का छिलका है। फिर, इसके बाद संदिग्ध वस्तु को रखने का पंचनामा, सूंघने और चखने का पंचनामा और माप का पंचनामा तैयार किया गया, इसे पार्सल कार्यालय में मापा गया था जिसे मिट्ठू लाल पुत्र सत्य नारायण, बेगमपुरा ले गया था। तीनों कार्टूनों को पार्सल अधिकारी एम.के.जायसवाल के माप तौल पर रखा, कार्टूनों का वजन क्रमशः १७ किग्रा, १७ किग्रा एवं १६ किग्रा हुआ कुल ५० किग्रा पोस्त भूसी जिसका मूल्य ३५००/- रुपये है, इस प्रकार उनके पास ये वस्तुएं अवैध रूप से पाई गई तथा लिखित में या कोई साक्ष्य न मिलने का कथन करने पर जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया। पंचनामा की प्रति बनाई गई। चूंकि मेरे पास मेरी नाम की सील नहीं थी, अतः घटनास्थल पर की गई कार्यवाही पर थाने की सील लगाई गई। जब्त अफीम भूसी के पैकेटों से नमूने जहां अनुच्छेद ए१ ए२ बी-१ बी-२ सी-१ एवं सी-२ अंकित किए गए तथा उन्हें जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु प्रत्येक कार्टून से २५० ग्राम का नमूना निकाला गया। राकेश के यहां होने के कारण उक्त स्थान पर की गई कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया। इस प्रकार उक्त स्थान पर की गई कार्यवाही का पंचनामा तैयार कर प्रकरण की जप्त सामग्री के विवरण के अनुसार आरोपी राकेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना में प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त लिखित सूचना एवं घटनास्थल पर की गई जब्ती एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा ८/१७ के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

की गई कार्रवाई: चूंकि उपरोक्त रिपोर्ट से पता चलता है एनडीपीएस अधिनियम की धारा ८/१७ के तहत अपराध(ओं) का किया जाना----- मामला पंजीकृत किया गया और जांच शुरू की गई अथवा, (१.० का नाम)-एएसआई बेग को जांच शुरू करने का निर्देश/सौंपा गया।

१३. एफ.आई.आर. शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाई गई, यह स्वीकार किया गया कि इसे सही ढंग से दर्ज किया गया है तथा इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को निःशुल्क दी गई।"

(ii) इस प्रकार उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी २९/१२/१९९६ को ट्रेन क्रमांक १२७०, भोपाल राजकोट एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। विभाग के पास सूचना थी कि एक छोटा लड़का तीन पैकेट अफीम की भूसी के साथ यात्रा कर रहा था और जनरल कोच में बैठा था। सूचना इस हद तक थी कि वह अफीम की भूसी के तीन डिब्बों के साथ बाथरूम के पास बैठा था। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि वह प्रतिबंधित सामान वाले एक पैकेट पर बैठा था और अन्य दो उसके बगल में थे। जब ट्रेन, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तो छापा मारने वाले दल ने लड़के को पहचान लिया और उसे तीन डिब्बों के साथ कोच से बाहर आने को कहा। अपीलार्थी तीन डिब्बों के साथ कोच से उतर गया। उसकी तलाशी ली गई

३. एफआईआर दर्ज होने पर जांच शुरू हुई। जांच के अंत में पुलिस ने विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायालय ने ऊपर बताए गए अपराध के लिए आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू की, जिसमें अपीलार्थी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

[2025] 1 एस. सी. आर.

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

४. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ग्यारह गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी भरोसा किया।
५. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग बंद करने पर अपीलार्थी का आगे का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। अपने आगे के बयान में, उसने कहा कि उसे कथित अपराध में झूठा फंसाया गया था। उसने आगे कहा कि वह वैध टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। वह मणिनगर (गुजरात) में रहने वाले अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। उन्हें उज्जैन रेलवे पुलिस स्टेशन (म.प्र.) में हिरासत में लिया गया।
६. विचारण न्यायालय ने मौखिक और साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों की सराहना करते हुए अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी पाया और उसे १० साल के कठोर कारावास और १०००००/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील की। उसकी अपील भी खारिज हो गई।
७. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।
८. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रगति नीखरा ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए गंभीर गलती की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी के पास प्रतिबंधित पदार्थ सचेत अवस्था में था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जब अधिकारियों ने उसे तीनों डिब्बों के साथ कोच से बाहर आने को कहा तो उसके पास अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इस तरह वह तीनों डिब्बों के साथ कोच से नीचे उतर आया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अन्यथा उसका तीन डिब्बों से कोई लेना-देना नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तलाशी रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे सार्वजनिक स्थान पर की गई थी। ट्रेन में कई यात्री थे और तीनों डिब्बे यात्रियों में से किसी एक के हो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

९. विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण उसे स्वीकार किया जाए तथा अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित आरोप से दोषमुक्त किया जाए।
१०. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी ठहराने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, न ही कानून की कोई गलती की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि अपीलार्थी के पास पोस्ट की भूसी वाले तीन डिब्बे सचेत रूप से थे। उन्होंने आगे बताया कि एक विशिष्ट सूचना थी जिसे विधि के अनुसार लिखित रूप में दर्ज किया गया था कि एक युवा लड़का ऊपर उल्लिखित ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसके पास पोस्ट की भूसी के रूप में प्रतिबंधित पदार्थ था। तदनुसार, तलाशी ली गई और अपीलार्थी के पास पोस्ट की भूसी पाई गई। उन्होंने तर्क दिया कि इस अपील में कोई दम नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाए।
११. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी ठहराते हुए कोई त्रुटि की है।
१२. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (२००२) ७ एससीसी ४१९ में दर्ज मामले में इस न्यायालय के निर्णय की

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लाभ के लिए इस निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं, फिर भी दुर्भाग्य से निर्णय का अनुपात या उसमें दी गई उक्ति अपीलार्थी के विरुद्ध जाती है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"निःसंदेह 'कब्जा' शब्द के अर्थ के अलग-अलग रंग हैं और यह अपने अर्थ में काफी लचीला है। कब्जा और स्वामित्व हमेशा एक साथ नहीं होते, लेकिन न्यूनतम अपेक्षित तत्व जो संतुष्ट होना चाहिए वह है माल की कस्टडी या नियंत्रण। क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीन अपीलार्थी, जिनमें से एक वाहन चला रहा था और अन्य दो बैग पर बैठे थे, के पास ऐसी कस्टडी या नियंत्रण था ? उचित संदेह से परे इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलार्थी वाहन में अकेले नहीं थे। केबिन में बैठे व्यक्तियों में से एक और ट्रक के पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को देखकर खुद को गायब कर लिया और अभियोजन पक्ष उनकी पहचान स्थापित नहीं कर सका। यह काफी संभावना है कि उनमें से एक माल का संरक्षक हो सकता है, चाहे वह मालिक हो या न हो। जो व्यक्ति केवल बैग पर बैठे थे, किसी और साक्ष्य के अभाव में, माल के कब्जे में होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि वे मजदूर हैं जो केवल सामान चढ़ाने और उतारने के काम में लगे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि माल कम से कम उनकी अस्थायी हिरासत में था, धारा १५ के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं हो सकती। सबसे अच्छा, वे उकसाने वाले हो सकते हैं, लेकिन, यहाँ ऐसा कोई आरोप नहीं है। सच है, उनकी चुप्पी और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफलता जिसमें वे विषम समय में वाहन में यात्रा कर रहे थे, एक मजबूत परिस्थिति है जिसे उनके खिलाफ रखा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के तहत अनुमान लगाने का

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

मामला शायद अभियुक्त के कब्जे को साबित करने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन, तथ्य यह है कि धारा ३१३ सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान, व्यक्तियों से यह सवाल भी नहीं पूछा गया कि वे वाहन में रखे अफीम के भूसे के कब्जे वाले व्यक्ति थे। उनसे केवल इतना ही सवाल पूछा गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, वे अफीम के भूसे के बैग पर बैठे थे। अजीब बात यह है कि ड्राइवर से भी इसी तरह से पूछताछ की गई। यह सर्वविदित है कि धारा ३१३ के तहत जांच का उद्देश्य अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माल के कब्जे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। जिस आरोप के लिए अपीलार्थीओं पर आरोप लगाया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, कब्जे जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर उनका उत्तर प्राप्त करने में विफलता काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के तहत अनुमान लगाना उचित नहीं है और न ही यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थीओं के पास पोस्ट की भूसी थी जिसे वाहन में ले जाया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने कब्जे के पहलू पर विचार किए बिना धारा ३५ के तहत अनुमान का सहारा लिया जो कि दोषी मानसिक स्थिति से संबंधित है। विचारण न्यायालय ने कब्जे के सवाल पर विचार किए बिना अधिनियम की धारा ५४ के तहत अनुमान लगाया। दोनों न्यायालयों का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से गलत है। दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर अपना निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त पोस्ट की भूसी वाले वाहन में विषम समय पर यात्रा करने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। लेकिन, ऊपर बताए गए अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा न तो ध्यान दिया गया और न ही उन पर

[2025] 1 एस. सी. आर.

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

ध्यान दिया गया। इस प्रकार भौतिक कारकों पर विचार न करने से अपील के तहत निर्णय को प्रभावित किया गया है।"

(जोर दिया गया)

१३. अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में, कार में सवार कुछ लोग रोके जाने पर भागने की स्थिति में थे। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष जांच के दौरान उनकी पहचान करने में असमर्थ था। इस न्यायालय ने पाया कि भागने वालों में से कोई भी व्यक्ति वाहन से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का वास्तविक संरक्षक हो सकता है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि जो व्यक्ति केवल बैग पर बैठे थे, किसी और चीज के साक्ष्य के अभाव में, वाहन से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में होने का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने माना कि धारा ३१३(१) (बी) सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों से उनके कब्जे के संबंध में जांच करने में विचारण न्यायालय की विफलता के कारण, जो कि अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दोषपूर्ण तत्व है, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे एनडीपी अधिनियम की धारा १५ के तहत अभियुक्तों के अपराध को स्थापित करने का दावा नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, धारा १५ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय ने उलट दिया।
१४. इस प्रकार, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष को ठोस सबूतों के साथ कब्जे को स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि अभियुक्त के पास कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है जो कि एक मादक दवा है, तो अभियुक्त को ऐसे कब्जे का संतोषजनक ढंग से हिसाब देना होगा, यदि नहीं, तो धारा ५४ के तहत अनुमान लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

१५. एनडीपीएस अधिनियम की धारा ५४ वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक होने के कारण सुविधाजनक संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत की गई है:

"५४. अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारणा - इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जा सकेगी कि अपराधी ने-

(क) किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ;

(ख) किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे;

(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकूलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग; या

(घ) किसी ऐसी सामग्री, जिस पर किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण से संबंधित कोई प्रसंस्करण किया गया है या ऐसी सामग्री से बचे किसी ऐसे अवशिष्ट, जिससे किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण किया गया है,

की बाबत, जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप में हिसाब देने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है।

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

१६. इसलिए, जैसा कि प्रावधान में ही कहा गया है, जब तक कि एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक यह माना जा सकता है कि आरोपी ने अधिनियम के तहत किसी ऐसी वस्तु के संबंध में अपराध किया है जिसे उसके पास रखना प्रतिबंधित है और जिसके कब्जे के लिए वह संतोषजनक रूप से उत्तर देने में विफल रहा है। इसलिए, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि प्रतिबंधित वस्तु को आरोपी के सचेत कब्जे से जब्त किया गया था। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष द्वारा उस पहलू को सफलतापूर्वक साबित कर दिया जाता है, तब आरोपी पर विधिक रूप से और संतोषजनक रूप से कब्जे के लिए उत्तर देने का दायित्व आ जाता है।

१७. हमने कब्जे के संबंध में साक्ष्यों पर गौर किया और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि अपीलार्थी के पास पोस्ट की भूसी वाले तीन डिब्बे सचेत रूप से मौजूद थे।

अपीलार्थी द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया कि उसे तीनों कार्टन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा वह तीनों कार्टन के साथ कोच से केवल इसलिए उतर गया क्योंकि प्राधिकारियों ने उसे कोच से बाहर आने के लिए कहा था, जो हमें स्वीकार्य नहीं है।

१८. हमने आरोपी के आगे के बयान पर गौर किया है। हमें इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर या स्पष्टीकरण नहीं मिला कि आखिर वह एक डिब्बे पर कैसे बैठा था और बाकी दो डिब्बे उसके बगल में कैसे रखे हुए थे।

१९. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर उल्लिखित धारा ५४ लागू होती है और न्यायालय द्वारा यह अनुमान लगाना न्यायसंगत होगा कि अभियुक्त सचेत अवस्था में था।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

२०. एनडीपीएस अधिनियम की धारा ३५ दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की धारणा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन में, न्यायालय यह मान लेगी कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति अपेक्षित थी, जिसमें इरादा, ज्ञान और मकसद शामिल हैं, जब तक कि अभियुक्त अन्यथा साबित न कर सके। इससे यह साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि उनके पास ड्रग्स रखने के बारे में ज्ञान या इरादा नहीं था।
२१. सचेत कब्जे से तात्पर्य ऐसे परिदृश्य से है, जहां व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से मादक दवा या मनोविकार नाशक पदार्थ रखता है, बल्कि उसकी उपस्थिति और प्रकृति के बारे में भी जानता है। दूसरे शब्दों में, इसके लिए शारीरिक नियंत्रण और मानसिक जागरूकता दोनों की आवश्यकता होती है। यह अवधारणा मुख्य रूप से न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुई है, क्योंकि "सचेत कब्जे" शब्द को एनडीपीएस अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत कब्जा केवल भौतिक ही नहीं बल्कि सचेत भी होना चाहिए। सचेत कब्जे का तात्पर्य है कि व्यक्ति को पता था कि उसके नियंत्रण में अवैध दवा या मनःप्रभावी पदार्थ है और उसे इसकी अवैध प्रकृति का इरादा या ज्ञान था।
२२. *अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य* में २००० (२) एससीसी ५१३ में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा भौतिक कब्जा साबित कर देने के बाद, अभियुक्त पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह बताए कि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ कैसे आया और यह साबित करे कि उसे इसकी मौजूदगी या प्रकृति के बारे में पता नहीं था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसके पास ड्रग्स पाए गए थे, उसे यह साबित करना होगा कि उसे पदार्थ की अवैध प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

[2025] 1 एस. सी. आर.

राकेश कुमार रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

२३ *मदन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (२००३) ७ एससीसी ४६५* में रिपोर्ट की गई, यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें सभी आरोपी व्यक्ति एक वाहन में यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें पकड़ा गया और उनसे बरामदगी की गई। उक्त निर्णय से संबंधित अंश नीचे दिए गए हैं:

"१९. क्या सचेत कब्जा था, इसका निर्धारण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से जो तथ्य निकाले जा सकते हैं, वे हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति एक वाहन में यात्रा कर रहे थे और जैसा कि विचारण न्यायालय ने नोट किया है कि वे एक-दूसरे को जानते थे और यह स्पष्ट नहीं किया गया है या दिखाया नहीं गया है कि वे एक ही गंतव्य से एक वाहन में एक साथ कैसे यात्रा कर रहे थे, जो सार्वजनिक वाहन नहीं था।

२०. धारा २० (बी) प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने पास रखना अपराध बनाती है। धारा २० अधिनियम के अध्याय IV में आती है जो प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने पास रखने के अपराध से संबंधित है। ऐसी वस्तुओं पर कब्जा करना गैरविधिक है। यह तर्क दिया गया है कि कब्जा अवैध बनाने के लिए, जानबूझकर कब्जा किया जाना चाहिए।"

२४. मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि करने में कोई गलती नहीं की है।

२५. उपर्युक्त के मद्देनजर, अपील असफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

२६. अपीलार्थी जमानत पर है। उसे सजा का शेष भाग पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।

मामले का नतीजा: अपील खारिज

अनुवाद द्वारा :-

विनय राज डाबी
कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक
म.प्र. उच्च न्यायालय, इंदौर